33/17 आत्माराम v/s कानाराम वगैरा (1)

23.6.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में से अटल सेवा केन्द्र - ग्रा.पं. लोलावा से पेश हुई। पत्रावली को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील शामिल मिसल किये गये। वकील पक्षकारगण उपस्थित / विपक्षी नं. 7 उप.। शेष विपक्षी कायमुकाम मरहूमान अदम
वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 16.1.17 की पालना में संशोधित आवेदन पेश किया गया था। जो उक्त रिमान्ड पत्रावली के साथ समायोजित किया जाना था। लेकिन न्यायालय द्वारा उसे अलग से दर्ज किया गया। उक्त आवेदन को मूल पत्रावली के साथ समायोजित किया जावे। हमने पत्रावली व अलग से दर्ज आवेदन का अवलोकन किया। जिससे पाया कि माननीय न्यायालय RAA बाड़मेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.01.2017 के द्वारा ख. नं. 182 व 182 के मध्य मकान रास्ता को छोड़ते हुए दोनो खसरात की सीमा से आधी 2 भूमि के बंटवारे अनुसार निर्धारित किया गया। माननीय न्यायालय की आदेश की

सहायक कलेक्टर
SDO सिवाना

Scanned by CamScanner

पालना में प्रार्थीगण वकील को केवल मात्र
संशोधित आवेदन ही पेश किया जाना था।
लेकिन वकील प्रार्थीगण द्वारा पूरा आवेदन
ही नया पेश किया गया। इस कारण
आवेदन को अलग से नये नम्बर पर
दर्ज किया गया। चूंकि आवेदन नं. 96/17
मामला बनाम कालाराम वगै. में भी विपक्षी
पक्षकारान की तामील पूर्ण हो चुकी
है। इस कारण उक्त ही विषय-वस्तु के
प्रकरण को मूल आवेदन क्र. 65/16 नये
नम्बर 33/17 मामला बनाम कालाराम वगै.
के साथ ~~साथ~~ संलग्न किया जाना उचित
है लिहाजा वकील प्रार्थी की प्रार्थना पर
स्वीकार की जाकर आवेदन क्र. 96/17
को उक्त मूल आवेदन के साथ संलग्न
किया जाता है। उक्त आवेदन में पारित
आदेश की प्रति आवेदन नं. 96/17 में
शामिल की जावे। विवादित भूमि की
मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।
तत्पश्चात वकील प्रार्थीगण की आवेदन
पर अंतिम बहस सुनी गई। दौराने
बहस वकील प्रार्थीगण ~~ने~~ ने बयान किया
कि माननीय न्यायालय RAA बाड़मेर के
आदेशानुसार तहसील सिवाना की रिपोर्ट
है जो तह. सिवाना की रिपोर्ट के

सहायक कलेक्टर
SDC सिवाणा

Scanned by CamScanner

अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जावे।

विपक्षी क्र.1 से 6 द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र विपक्षी क्र.1 से 6 की खसरा संख्या 181 में से रास्ता मांगे जाने हेतु पेश किया गया था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन दिनांक 25.6.16 को स्वीकार कर, विपक्षी क्र.1 से 6 की ख.नं. 181 में रास्ता स्वीकृत किया गया था। जिस पर विपक्षी क्र.1 से 6 द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील आयुक्त बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश 16.1.17 को आदेश पारित किया गया, कि ख.नं.181 व 182 के मध्य मध्य रास्ता को छोड़ते हुए व दोनो खसरात की सीमाओं में आधी2 भूमि के प्रस्ताव का परीक्षण कर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई के बाद निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में प्रार्थीगण द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी क्र.1 से 6 की खसरा नं.181

सहायक कलक्टर
SDC सिवाना

से पीक स्थान को रास्ता चाहा गया है वह भूमि मौके पर खाली नही है, विपक्षी क्र. 1 से 6 के मकान, घर आदि बने हुए है, तथा मौके पर भूमि खाली नही है इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

विपक्षी सं. 7 से 10 ने अपने जवाब मे उल्लेखित किया कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 7 से 10 के खेत खसरा सं. 182 मे पीक स्थान से रास्ता चाहा गया है, वह भूमि मौके पर खाली नही है। तथा विपक्षी सं 7 से 10 के मकान, घर, बारबाड़े व ~~[illegible]~~ बाड़ आदि बने हुए है, तथा मौके पर भूमि खाली नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा उल्लेखित स्थान पर रास्ता दिया जाना ~~[illegible]~~ सम्भव नही होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन और विपक्षी सं. 1 से 10 द्वारा प्रस्तुत जवाब, संलग्न दस्तावेजी के दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरता

प्रत्येक आ... के परिप्रेक्ष्य ... पक्षकार पाया... स्वतंत्रता ... की

सहायक कलेक्टर
SDO ...

Scanned by CamScanner

पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। पत्रावली में पाया कि ग्रामीणगण द्वारा अपने खातेदारी खेत ख. नं. 179 ग्राम लोधाला की भूमि से आने जाने हेतु उपयोग कदीमी रास्ता की भूमि खसरा संख्या 181 में से रास्ता चाहा गया था। ग्रामीणगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर, विभागी को जरिये नोटिस तलब कर, विभागी बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर, एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए, ग्रामीणगण का आवेदन दिनांक 21.6.16 को स्वीकार कर, ग्रामीणगण को ख. नं. 181 में से रास्ता देने के आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुढ़ामालानी द्वारा पारित किये गये। उक्त निर्णय पारित के उपरान्त विभागी क्र. 1 से 6 द्वारा बीचो बीच एक पक्की ईंटों से मकान बना हुआ था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर विभागी नि. 1 से 6 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में अपील पेश की गई। जो अपील क्र. 46/2016 पर दर्ज होकर

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

बाद सुनवाई अपीलार्थी की अपील
को दिनांक 16.1.17 (16 जनवरी 2017)
को स्वीकार कर, अपीलार्थी की अपील
को इस न्यायालय को इस निगरानी-
निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की
गई, कि खसरा संख्या 181 व 182
के मध्य मकान रास्ता को छोड़ते हुए
एवं दोनों खसरान की सीमाओं से
आबादी 2 मकानों के अलगाव का परीक्षण
कर, सुनवाई करते हुए, निर्णय पारित
किया जावे। माननीय न्यायालय के आदेश
की पालना में स्वगत प्रकरण पुनः
दर्ज रजिस्टर किया जाकर, पक्षकारान
को सुनवाई हेतु तलब किया गया।
विपक्षी क्र. 1 से 10 द्वारा आवेदन पत्र के
तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब पेश कर
आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया
गया। जिसमें अधोलिखित किया गया, कि
विपक्षी क्र. 1 से 10 के खाते खसरा क्र. 181
व 182 के मध्य में विपक्षी के मकान
बाड़ इत्यादि बने हुए है, और मौके पर

सहायक कलक्टर
SDC [illegible]

Scanned by CamScanner

खाली आती नहीं है। यह तर्क मानने
योग्य नहीं है, क्योंकि पूर्व मे ग्रामी
सिर्फ खसरा क्र. 181 से रास्ता जाता
था, तो विपक्षी द्वारा उक्त खसरे के
बीच मे पक्का ईटो का मकान बना
दिया। तथा बाद मे माननीय न्यायालय
राजस्व अपील अधिकारी कापरेन द्वारा
अपने निर्णय मे ख.क्र. 181 व 182
के मध्य मकान रास्ते को छोड़ते हुए दोनो
खातेदारान की सीमाओं मे आधी २ भूमि
के इस्तेमाल लेने बाबत निर्देश दिये थे
के बाद विपक्षी क्र. 7 से 10 ने ख.क्र.
182 के बीचो बीच कोटड़ी बना दी।
इससे प्रतीत होता है, कि विपक्षीगण
जान बूझकर ग्रामीगण को रास्ते नहीं
देने के लिए उक्त कार्य कर रहे है जो
प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। एवं
माननीय न्यायालय RAA कापरेन द्वारा की
पारित निर्णय मे ख.क्र. 181 व 182 के
मध्य मकान को छोड़ते हुए आधी २ भूमि
दोनो खातेदारान के लेते हुए, रास्ता निकालते

सहायक कलक्टर
SDC- [illegible]

Scanned by CamScanner

बाबत निर्देशित किया गया था। जो माननीय न्यायालय के आदेशानुरूप तह- सीलदार द्वारा विवादित भूमि की रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि उक्त खसरा के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प रास्ता नहीं है। ऐसी हालत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है एवं विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील के आज अनुपस्थित रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार करने मे अन्य कोई विरुद्ध नहीं है, केवल मात्र प्रकरण को लटका करने की नियत से पेश कर रहे है इस प्रकार प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार खसरा नं 181 मे रास्ते की लम्बाई 40 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा यानि 0-06 बिस्वा तथा ख.नं. 182 मे लम्बाई 40 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा यानि 0-06 बिस्वा है। इस प्रकार कुल 12 बिस्वा भूमि रास्ते मे आती है उक्त भूमि की DLC दर 29980/-प्रतिबीघा

सहायक कलक्टर
SDO [illegible]

Scanned by CamScanner

है इस प्रकार रास्ते मे आ रही भूमि 0-12 बीघा भूमि की राशि का दुगुना भुगतान प्रार्थीगण / पक्ष को विपक्षी पक्ष को किया जाना होगा है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर, ग्राम-लोलावा तहसील सिकराय की खेत खसरा संख्या 179 रकबा 27-01 बीघा भूमि से सड़क तक आवागमन हेतु ~~कक~~ इसी ग्राम की खसरा संख्या 181 व 182 ~~के~~ भूमि मे से मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे मे रंग लाल (डोत लाल पेन से) से दरसाये अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता निकासने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रति प्रति राशि विपक्षी स०1 से 6 के ख. सं. 181 रकबा 16-14 बीघा भूमि मे से प्रस्तावित रकबा 0-06 बिस्वा भूमि के लिए- 17,988/- अठारह सत्तरह हजार नौ सौ ~~[illegible]~~ इठीयासी रुपये व विपक्षी स. 7 से 10 (रामराम, लक्ष्मणराम, कृष्णराम (कृष्णराम) पिसरान बोतसीराम व पातूदेवी पत्नि नेतसीराम) की खसरा सं. 182 रकबा 26-04 बीघा भूमि ~~को~~ मे से प्रस्तावित रकबा

सहायक कलेक्टर
SDC सिकराय

0-06 बिस्वा भूमि के लिए राशी -17,9.. अक्षरे सतरह हजार नौ सौ ईठीयासी रुपये मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी मे निर्धारित GRASS रसीद के जरिये राजकोष मे जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को ग्राम जोलाणा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 181 व 182 मे प्रस्तावित रकबा 0-06 व 0-06 बिस्वा का रास्ते को जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 181 की भूमि प्रति राशी पूर्व मे जमा होने का उल्लेख तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है। इस कारण तहसीलदार सिणधरी ख.नं. 181 मे प्रस्तावित रकबे के अनुसार राशी की गणना करते हुए, यदि शेष राशी बचती है, तो प्रार्थीगण को प्रदान करे। दोहरी राशी कुलभ्य ख.नं. 181 सिर्फ वसूल नहीं करे। तहसीलदार सिणधरी के पत्रांक 290 Date 23.6.12 मौजूदा मौका रिपोर्ट के साथ नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग होगा।

आदेश आज दिनांक 23/6/12 को मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 23/6/12
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ाठासीन अधिकारी :– श्री नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 65/2016

प्रार्थीगण

1. भारमल पुत्र रामजी
2. लाखा पुत्र रामजी
3. जुगता पुत्र रामजी
4. गोकला पुत्र रामजी
जाति सुथार निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र उदाराम
2. दुर्गाराम पुत्र उदाराम
3. चमूदेवी बेवा उदाराम
4. पेमाराम पुत्र चिमनाराम
5. घेवर पुत्र रूपाराम
6. प्रहलाद पुत्र रूपाराम
जाति नाई निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

उपस्थित :–

1. **श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.06.2016

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा खातेदारी खेत राजस्व ग्राम लोलावा में खसरा संख्या 179 रकबा 27–01 बीघा किस्म बा.दो. का आया हुआ है। इसमें आने जाने हेतु कटान मार्ग नहीं है। मुख्य सडक से मेरे पडौस के खेत खसरा संख्या 181 रकबा 16–14 बीघा में से चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है। इस रास्ते का उपयोग कई वर्षो से करता आ रहा हूँ। मुझ प्रार्थी की खातेदारी सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा संख्या 179 तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा संख्या 181 में से संलग्न परिशिष्ठ अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामीलसुदा प्राप्त हुए। भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी से रिर्पोट मंगवाई गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़ा पेश हुई। तहसीलदार सिणधरी ने रिर्पोट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 181 रकबा 16–14 बीघा में से 182 के सेढे रास्ता चाहा है। मौके पर जहां से रास्ता चाहा गया है, वहां बीचों बीच विप्रार्थीगण का एक पक्की ईंटों से मकान बना हुआ है एवं मौके पर रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त खेत से कटाण तक पहुंचने का खसरा नम्बर 182 में से भी समान दूरी का विकल्प है। उक्त दोनों खसरों के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिणधरी द्वारा

सहायक कलेक्टर
SDO गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार विप्रार्थीगण के पक्का मकान बरंग ''हरा'' को छोड़ते हुए पक्के मकान के आगे होते हुए सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के आराजी खेत खसरा संख्या 179 मौजा लोलोवा में आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 181 मौजा लोलावा में से 12 फीट चौडा 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिणधरी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 12 फीट चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक **25.06.2016** को **राजस्व लोक अदालत शिविर / कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़ा** में दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी सिणधरी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामाल

निर्णय आज दिनांक **25.06.2016** को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

25/6/16

(नाथूसिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

SDO गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner